भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.-1940

उत्तर देने की तारीख-05/08/2026

विश्वविद्यालय टाउनशिप और आकादमिक-से-रोजगार का एकीकरण

1940 # **श्री मिथलेश कुमार:**
श्री केसरीदेवसिंह झाला:
श्री राजेश परमानंद शुक्ला:
श्री बृज लाल:
श्री सामिक भट्टाचार्य:
श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:
डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:
डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह:
श्री सुभाष बराला:
श्री संजय भाटिया:
श्री राजिन्दर गुप्ता:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब के पास परिकल्पित पाँच विश्वविद्यालय टाउनशिप के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन हब के माध्यम से शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान सुविधाओं और कौशल विकास केंद्रों को एकीकृत करके उद्योग-शिक्षा तालमेल को बेहतर बनाने की क्या रूपरेखा है;

(ग) शिक्षा से रोज़गार और उद्यम संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति के गठन और उस संबंध में मुख्य अधिदेशों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उच्च शिक्षा को श्रम-बाज़ार की आवश्यकताओं के अनुरूप संरेखित करने और स्नातकों की उद्योग संबंधी तैयारी में सुधार के लिए क्या कार्यनीतिक पहलें की गई हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): भारत सरकार ने शिक्षा परिदृश्य को बहु-विषयक, समावेशी और शिक्षार्थी-केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र में बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 तैयार और अनुमोदित की है। इसमें सभी के लिए शिक्षा की पहुंच, समता और गुणवत्ता बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इसमें भौतिक अवसंरचना, डिजिटल उपकरण और कनेक्टिविटी के प्रावधान तथा बेहतर उद्योग-शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया है।

एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप, केंद्रीय बजट 2026-27 में यह घोषणा की गई है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रमुख औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक कॉरिडोरों के आसपास 5 विश्वविद्यालयी टाउनशिप का निर्माण करने में चुनौती-आधारित चयन प्रक्रिया (चैलेंज रूट) के माध्यम से राज्यों की सहायता करना है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, उद्योग प्रतिनिधियों आदि जैसे संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया शुरू की है।

भारत को सेवा क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाने और विकास, रोजगार तथा निर्यात की संभावनाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने, नौकरियों और कौशल आवश्यकताओं पर एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का आकलन करने तथा उसके अनुरूप उपायों का प्रस्ताव करने के लिए, केंद्रीय बजट 2026-27 में विकसित भारत के मुख्य प्रेरक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले उपायों की सिफारिश करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त 'रोजगार और उद्यम हेतु शिक्षा' स्थायी समिति की स्थापना की भी घोषणा की गई है। समिति का संघटन **अनुलग्नक** में दिया गया है।

विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने और एनईपी 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) जारी किया गया है, जो अकादमिक क्षेत्र में कौशल शिक्षा के एकीकरण को सक्षम बनाता है। एनसीआरएफ में कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से आवश्यक कुल क्रेडिट का अधिकतम 50% संचय करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने तथा शिक्षार्थियों के बीच कौशलों को विकसित करने और उन्हें उद्योग के अनुरूप तैयार करने के लिए "भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए सतत और जीवंत विश्वविद्यालय-उद्योग सहभागिता प्रणाली संबंधी दिशानिर्देश" जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, एआईसीटीई की अनुमोदन प्रक्रिया हैंडबुक 2024-25 से 2026-27 में "तकनीकी संस्थानों के लिए आवश्यक एवं

वांछनीय आवश्यकताएँ" हैं, जिसमें अनुमोदन हेतु आवश्यक अपेक्षाओं के रूप में संस्थान-उद्योग प्रकोष्ठ, संस्थान की नवाचार परिषद की स्थापना तथा अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप शामिल है।

इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने रोजगार क्षमता में सुधार करने, अनुसंधान के प्रति रुचि विकसित करने तथा उभरती प्रौद्योगिकियों का अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से "अवर स्नातक विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप/अनुसंधान इंटर्नशिप हेतु दिशानिर्देश" जारी किए हैं। साथ ही, यूजीसी ने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में उद्योग द्वारा अपेक्षित दक्षताओं को शामिल करने के लिए "उच्चतर शिक्षण संस्थानों हेतु अप्रेंटिसशिप एंबेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) प्रदान करने के लिए यूजीसी दिशानिर्देश" भी तैयार किए हैं।

शिक्षा मंत्रालय किसी भी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के नवस्नातकों, डिप्लोमा धारकों और अप्रेंटिसशिप एंबेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) के विद्यार्थियों को प्रशिक्षुता के रूप में कार्यस्थल संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करके और इस प्रकार कौशल अंतर को कम करते हुए उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) कार्यान्वित करता है।

इसके अतिरिक्त, उद्योग-अकादमिक सहभागिता को सुदृढ़ करने और शिक्षार्थियों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने प्रतिष्ठित उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर स्वयम प्लस प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। यह प्लेटफॉर्म 500 से अधिक रोजगार-केंद्रित पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इन पाठ्यक्रमों को सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर विनिर्माण और उन्नत विनिर्माण आदि सहित 15 क्षेत्रों में 80 से अधिक उद्योग भागीदारों के सहयोग से तैयार किया गया है। 06 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने अपने कौशल संवर्धन हेतु स्वयम प्लस प्लेटफॉर्म पर नामांकन किया है।

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्यगण श्री मिथलेश कुमार, श्री केसरीदेवसिंह झाला, श्री राजेश परमानंद शुक्ला, श्री बृज लाल, श्री सामिक भट्टाचार्य, श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई, डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी, डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह, श्री सुभाष बराला, श्री संजय भाटिया, श्री राजिन्दर गुप्ता द्वारा 'विश्वविद्यालय टाउनशिप और आकादमिक-से-रोजगार का एकीकरण' के संबंध में दिनांक 05.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1940 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

उच्चाधिकार प्राप्त 'रोजगार और उद्यम हेतु शिक्षा' स्थायी समिति का संघटन

क्र. सं.	नाम और पदनाम	भूमिका
1.	सीईओ, नीति आयोग	अध्यक्ष
2.	सचिव, वाणिज्य विभाग	सदस्य
3.	सचिव, आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
4.	सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य
5.	सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य
6.	सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
7.	सचिव, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	सदस्य
8.	सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	सदस्य
9.	सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	सदस्य
10.	मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
11.	मुख्य सचिव, बिहार सरकार	सदस्य
12.	मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
13.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
14.	डीजी, सीआईआई	सदस्य
15.	डीजी, फिक्की	सदस्य
16.	एसजी, एफआईएसएमई	सदस्य
17.	अध्यक्ष, नैसकॉम	सदस्य
18.	डीजी, एसईपीसी	सदस्य
19.	डॉ. ए. शक्तिवेल, तिरुप्पुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के संस्थापक-अध्यक्ष	सदस्य
20.	डॉ. चंदन चौधरी, प्रोफेसर, आईएसबी	सदस्य
21.	डॉ. रजत कथूरिया, डीन, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, शिव नादर विश्वविद्यालय	सदस्य
22.	कार्यक्रम निदेशक (सेवाएं), नीति आयोग	सदस्य संयोजक
